


4
y
22

वशावली पीश हई। वकील वादी उ। स्थान है।
पक्षकारान वकील उप. है। पूर्व आदशानुसा
वशावली नं 29-44-22 पेक्ष हं

पुनश्च— वकील उअध्यपक्ष द्वारा पूर्व में प्राप्त
वहस व वशावली के बाह्य अवलोकन व
मनन के आधार पर आदेश दिनांक 07/08/2020
वाबर अंतरिम अस्थायी विवेधाना मूल पद के
अंतरिम विस्तारण तक कवकर्म किया जाता है।
प्रातिपक्षी संख्या 1, 3 व 10 को मूल पद के
अंतरिम विस्तारण तक आदेश दिनांक 07/08/2020
अनुसार अस्थायी विवेधाना से बाबंद किया
जाता है। वशावली केअल शुमार की जाकर
मंवर से कम की जाकर वास्तेवा दफतर ही
निर्गम खुले न्यायालय के शुमार जाकर अरे
हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया
गया।



सहायक कलक्टर
साँभर लेक

